136

संख्या – /XLI-1/16–21(प्रशि0)/2016

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 04 अगस्त, 2016

विषयः– आय–व्ययक के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–2017 में प्रशिक्षण विभाग हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्रशिक्षण विभाग के अनुदान संख्या–16 के अधीन वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार **₹697941**हजार(रूपया उनहत्तर करोड उन्यासी लाख इकतालीस हजार मात्र) {आयोजनागत पक्ष में **₹154760** हजार/–एवं आयोजनेत्तर पक्ष में **₹543181** हजार/–} की अधोल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

2– अधिष्ठान संबंधी अन्य अवचनबद्ध मदों की आय–व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि भी संबंधित प्रशासनिक विभग/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि की कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

3– योजनागत पक्ष में चालू योजनाओं एवं चालू निर्माण कार्यों के लिए (आयोजनेत्तर पक्ष में निर्माण कार्यों सहित) आय–व्ययक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत कर दी जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

4– केन्द्रपोषित/केन्द्रपुरोनिधानित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति के लिये ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत बजट प्राविधान/आवंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

5– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगें तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

6– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

9– विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

10– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11– उपनल के कार्मिकों को मानदेय/वेतन का भुगतान मानक मद–16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान से किया जाता है। इस संबंध में निदेशक प्रशिक्षण को निर्देशित किया जाय कि इस मद में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से उपनल के कार्मिकों का वेतन आहरित कर व्यय किया जायेगा। अन्य किसी प्रकार की देयता वेतन से इतर इस मद में व्यय हेतु उत्पन्न होती है तो शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

12– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार के अधीन **संलग्नक परिशिष्ट**–''**क**''में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

14– वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की समस्त धनराशि जिसमें अध्यादेश संख्या–उत्तराखण्ड विनियोग(लेखानुदान) अध्यादेश संख्या–02,2016 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि को

उक्त आय–व्ययक में समाहित माना जायेगा।

15— चालू कार्यों में सर्वप्रथम धनराशि उन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जायेगी, जिन निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति अच्छी हो।

16— नये निर्माण कार्यों तथा जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में आय–व्ययक के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2— यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक–1 के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं/दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए तद्नुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या :– 365 /XLI-1/16–21(प्रशि0)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2 आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
3 निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5 मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी–नैनीताल।
6 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5/नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
7 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून
8 बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या :– /XLI-1/16–21(प्रशि0)/2016, दिनांक : अगस्त, 2016 का परिशिष्ट

राजस्व लेखा अनुदान संख्या : 16 (धनराशि रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230–	श्रम तथा रोजगार		
03–	प्रशिक्षण		
001–	निदेशन तथा प्रशासन		
01–	प्रशिक्षण एवं रोजगार सबंधी अधिष्ठान		
01–	वेतन	.	10267
02–	मजदूरी	.	12
03–	मंहगाई भत्ता	.	11499
04–	यात्रा व्यय	.	200
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	.	33
06–	अन्य भत्ते	.	1000
07–	मानदेय	.	10
08–	कार्यालय व्यय	.	167
09–	विद्युत देय	.	50
10–	जलकर/जलप्रभार	.	3
11–	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	.	67
12–	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	.	33
13–	टेलीफोन पर व्यय	.	67
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	.	67
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	.	467
18–	प्रकाशन	.	0
19–	विज्ञापन विकी और विख्यापन व्यय		133
22–	अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	.	27
25–	लघु निर्माण	.	67
26–	मशीनें एवं साज–सज्जा	.	33
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	.	267
29–	अनुरक्षण	.	17
42–	अन्य व्यय	.	20
44–	प्रशिक्षण व्यय	.	20
45–	अवकाश यात्रा सुविधा		33
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	.	33
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		67
	योग	.	**24659**
लेखा शीर्षक/मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230–	श्रम तथा रोजगार		
03–	प्रशिक्षण		
003–	दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण		
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें		
0101–	योजना आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण(75 %के0यो0)		
04–	यात्रा व्यय	3	.
07–	मानदेय	40	.

08—	कार्यालय व्यय	100	.
12—	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	
13—	टेलीफोन पर व्यय	67	.
15—	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	133	.
16—	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0	.
24—	वृहद निर्माण	1	.
26—	मशीनें एवं साज—सज्जा	667	.
42—	अन्य व्यय	333	.
44—	प्रशिक्षण व्यय	1	.
46—	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33	.
47—	कम्प्यूटर अनु0 एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	67	.
	योग	**1465**	
	लेखाशीर्षक/मानक मद	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**
2230—	**श्रम तथा रोजगार**		
03—	**प्रशिक्षण**		
003—	**दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण**		
03—	**दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान**		
01—	वेतन	44000	195800
02—	मजदूरी	200	133
03—	मंहगाई भत्ता	57640	256498
04—	यात्रा व्यय	200	333
05—	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	133	67
06—	अन्य भत्ते	5333	20000
07—	मानदेय	13	20
08—	कार्यालय व्यय	733	333
09—	विद्युत देय	1000	6667
10—	जलकर/जलप्रभार	133	400
11—	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200	133
12—	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	467	400
13—	टेलीफोन पर व्यय	333	533
15—	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	0	13
16—	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	23333	23333
17—	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1667	1200
21—	छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	67	100
25—	लघु निर्माण	1	133
26—	मशीनें एवं साज—सज्जा	11000	1
27—	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	333	1000
29—	अनुरक्षण	133	133
31—	सामग्री एवं सम्पूर्ति	1	67
42—	अन्य व्यय	2000	10000
45—	अवकाश यात्रा सुविधा	33	33
46—	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	167	133
47—	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	167	67
	योग	**149287**	**517530**

लेखाशीर्षक / मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230—	**श्रम तथा रोजगार**		
03—	**प्रशिक्षण**		
003—	**दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण**		
08—	**औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति**		
04—	यात्रा व्यय	.	133
07—	मानदेय	.	267
08—	कार्यालय व्यय	.	133
13—	टेलीफोन व्यय	.	33
15—	गाडियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद	.	67
17—	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	.	120
42—	अन्य व्यय	.	50
47—	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	.	20
	योग	.	**823**

लेखाशीर्षक / मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230—	**श्रम तथा रोजगार**		
03—	**प्रशिक्षण**		
003—	**दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण**		
09—	**नये व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना**		
01—	वेतन	1	—
03—	महंगाई भत्ता	1	—
04—	यात्रा व्यय	1	.
08—	कार्यालय व्यय	1	.
09—	विद्युत देय	1	.
16—	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1	.
24—	वृहद निर्माण	1	.
26—	मशीनें एवं साज–सज्जा	4000	
42—	अन्य व्यय	1	
	योग	**4008**	

लेखाशीर्षक / मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230—	**श्रम तथा रोजगार**		
03—	**प्रशिक्षण**		
102	**शिक्षता प्रशिक्षण**		
03—	**शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना**		
01—	वेतन	.	1
02—	मजदूरी	.	1
03—	मंहगाई भत्ता	.	1
04—	यात्रा व्यय	.	20
05—	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	.	1
06—	अन्य भत्ते	.	1
07—	मानदेय	.	1
08—	कार्यालय व्यय	.	10
09—	विद्युत देय	.	1
10—	जलकर / जल प्रभार	.	1

11—	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	.	10
12—	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	.	1
16—	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	.	10
26—	मशीनें एवं साज—सज्जा		1
27—	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	.	1
29—	अनुरक्ष	.	1
42—	अन्य व्यय		1
44—	प्रशिक्षण व्यय		50
45—	अवकाश यात्रा व्यय		1
46—	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय		50
47—	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय		5
	योग	.	**169**
	महायोग	**154760**	**543181**
	कुल योग	**697941**	

आयोजनागत —रूपया पन्द्रह करोड सैंतालिस लाख साठ हजार मात्र।
आयोजनेत्तर —रूपया चौवन करोड़ इक्तीस लाख इक्यासी हजार मात्र
कुल योग :— उनहत्तर करोड उन्यासी लाख इकतालीस हजार मात्र

आज्ञा से,

(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप सचिव।